कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2280 / री.ए.डी.एम / 2021 इन्दौर, दिनांक 3–5–2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(विषय :– इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में किराना / राशन की निजी दुकानों पर अतिरिक्त प्रतिबंध, दुध वितरण के समय का विनियमन तथा माननीय् उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इन्दौर में स्थित अधिवक्ताओं के क्लर्क को उनके घरों से आफिस तक जाने की छुट के संबंध में)

(संदर्भ– इस कार्यालय का आदेश कमांक 2264–2265 दिनांक 30–4–2021 तथा मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के आदेश दिनांक 3–5–2021)

(दिनांक 4–5–2021 से प्रभावशील)

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित आदेश में दिनांक 7–5–2021 तक बढ़ाए गए जनता कफ्र्यु के आदेश में एवं गृह विभाग के संदर्भित आदेश के तारतम्य में निम्नानुसार आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पारीत किया जाता है :–

1. यह कि इन्दौर नगर निगम सीमा में स्थित समस्त निजी किराना एवं राशन की थोक एवं खेरची दुकानें अब सप्ताह में केवल दो दिन अर्थात सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 बजे से सांय 5 बजे तक खुल सकेंगी। सप्ताह के शेष दिनों में ये निजी दुकानें, जिसमें बिग बाजार आदि तरह की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध शासकीय उचित मूल्य दुकानों अर्थात कंट्रोल की दुकानों पर नहीं रहेगा अर्थात ये कंट्रोल की दुकानें गरीबों को राशन हेतु अपने निर्धारित समय पर खुल सकेंगी।

2. दुध का वितरण घर–घर जाकर या दुध डेयरी से प्रातः 6 से 10 बजे तक किया जा सकेगा एवं सांय 5 से 7 बजे तक प्रतिदिन किया जा सकेगा। शेष समय यह गतिविधि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

3. सब्जी का वितरण प्रतिदिन 12 बजे तक ही किया जा सकेगा तथा शनिवार एवं रविवार को उपरोक्तानुसार किराना / राशन के साथ–साथ सब्जी के वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी तथा चोईथराम सब्जी मंडी एवं जिले की समस्त सब्जी मंडियॉ शनिवार एवं रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगी।

4. माननीय् उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय् न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. कमांक 9185 / 2021 दिनांक 3–5–2021 के पालन में माननीय् अधिवक्ताओं एवं उनके क्लर्क को

उनके निवास से आफिस तक आने–जाने के लिए पास जारी किए जाना आदेशित किया जाता है। संबंधित बार एसोसिएशन के माध्यम से जो भी नाम आएंगे, उनसे इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में श्री पवन जैन, अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा पास जारी किए जावेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा बार एसोसिएशन के अनुरोध पर निवास से अपने कार्यालय तक आने–जाने हेतु पास जारी करेंगे। यहॅा यह स्पष्ट किया जाता है कि बार एसोसिएशन के माध्यम से प्राप्त सूची पर ही संबंधित अधिवक्ताओं एवं उनके क्लर्क को यह पास जारी किए जावेंगे। अतः अपर जिला दण्डाधिकारी नगर इन्दौर एवं सभी ग्रामीण अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालयों के संबंधित बार एसोसिएशन से संपर्क में रहकर यह कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

5. शहर में मौजूद बाहर के छात्रों की सुविधानुसार टिफिन सर्विसेस यथावत चालू रहेगी तथा बच्चों के मेस में कार्यरत कर्मचारी भी मेस संचालन हेतु आ–जा सकेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति या किसी अकेले होम आईसोलेशन में निवासरत कोरोना मरीज को भोजन देने जा रहा हो तो उसको भी इस आने–जाने में छुट रहेगी।

6. सम्पूर्ण जिले में विवाह कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।

7. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को केवल केमिस्ट दुकान, अस्पताल तथा उपरोक्त वर्णित बिन्दु क्रमांक–5 में टिफिन सर्विसेस एवं सुबह–शाम दुध वितरण की गतिविधियॅा चालु रह सकेगी किन्तु निजी किराना, राशन की दुकानें, सब्जी वितरण तथा उचित मूल्य दुकानें अर्थात कंट्रोल की दुकानें आदि अन्य समस्त गतिविधियॅा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

8. आमजन से यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रतिबंधों से मुक्त गतिविधियों के अतिरिक्त अगर उनको घरों से बाहर पाया गया तो पुलिस एवं संबंधित मजिस्ट्रेट्स द्वारा सख्ती से कार्यवाही की जावेगी तथा उनकी असुविधा के लिए नागरिक स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। सभी प्रकार की खेल गतिविधियॅा एवं साईकिलिंग आदि पर प्रतिबंध रहेगा तथा पुलिस को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रातः से ही इन सभी का उल्लंघन करने वाले अथवा घनी बस्तियों के खेल मैदान में खेल संचालित करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

9. औद्योगिक गतिविधियों में मालवाहक वाहनों का जिले के अंदर–बाहर जाने पर तथा गोडाउन गतिविधियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश **दिनांक 3/5/2021** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र०/ 2281/री0ए0डी0एम0/2021 इन्दौर, दिनांक 3–5–2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर।
3. पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर ।
4. उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर।
5. समस्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर इन्दौर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर।
7. अनुविभागीय अधिकारी महू, सावेंर देपालपूर खुडैल, हातोद।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर ।
9. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जिला इन्दौर ।
10. थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ।
11. जनसामान्य की और सूचनार्थ एव पालनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.